न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
98/दावा/2019	09.08.2019	30.12.2019

1. श्रीमती रागीनी पुत्री केवल कुमार पत्नि मंयक कुमार जैन जाति महाजन निवासी के0पाटन हाल निवास वार्ड नं0 13 टोडारायसिंह तहसील जिला टोंक (राज0)
2. संदीप कुमार पुत्र केवल कुमार जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं0 13 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
3. अभिषेक जैन पुत्र केवल कुमार जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं0 13 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
4. जितेन्द्र पुत्र केवल कुमार जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं0 13 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)

......वादीगण

बनाम

1. केवल कुमार उर्फ केवल चन्द आ0 स्वं0 रामप्रताप जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं0 13 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री राजकुमार गोत्तम
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री मुकेश शर्मा

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम–1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता प्रतिवादी क्रम 1 है।
2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी का पीढी वृक्ष निम्नप्रकार है–

ओंकार लाल
- धन्ना लाल
  - रामप्रताप
    - महावीर
    - पदम कुमार
    - केवल कुमार उर्फ केवल चन्द
      - रागीनी
      - संदीप कुमार
      - अभिषेक
      - जितेन्द्र
    - पारस कुमार
    - अजीत कुमार
- लक्ष्मीनारायण

3. यह कि कृषि भूमि खसरा संख्या 962 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा खसरा संख्या 963 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबन्दी संवत 2071 से 74 में खतोनी संख्या नया 64 में खातेदार के स्थान पर केवलचन्द पिता रामप्रताप कौम महाजन सा0खातेदार दर्ज है। उक्त खातेदार श्री केवलचन्द वादीगण के पिता है

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

4. यह कि कृषि भूमि खसरा संख्या 964 रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है जो जमाबंदी संवत 2071 से 74 में खतोनी संख्या नया 63 में खातेदार के स्थान पर केवल वल्द रामप्रताप कौम महाजन सा0खातेदार दर्ज है। उक्त श्री केवल कुमार वादीगण के पिता है।

5. यह कि वाद पत्र की चरण 3 व 4 मे अंकित कृषि भूमि के खातेदार एक ही व्यक्ति है जिन्हें केवल कुमार उर्फ केवलचन्द के नाम से जाना जाता है। उक्त खातेदार वादीगण के पिता है।

6. यह कि वाद पत्र की चरण क्रम 3 व 4 मे अंकित कृषि भूमि के वादीगण के पूर्वजो की कृषि है वादीगण का पीढी वृक्ष उपरोक्त वर्णित चरण मे अंकित किया गया है जिनके मूल पुरुष श्री धन्ना लाल आत्मज ओंकार लाल थे पूर्व मे उक्त वादपत्र की चरण क्रम 3 व 4 मे अंकित कृषि भूमि वादीगण के पूर्वजो के खातेदार/कब्जे मे थी जो कालान्तर में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 पूर्व मे लगभग 17 बीघा कृषि वादीगण के पूर्वजो की बैचान करके क्रेतागण के पक्ष में पंजिकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर चुके है।

7. यह कि वाद पत्र की चरण क्रम 3 व 4 मे अंकित विवादित कृषि भूमि वादीगण के पूर्वजो की पुश्तेनी कृषि भूमि होने से उक्त सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि में वादीगण का जन्म से ही प्रत्येक वादीगण का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है तथा 1/5 हिस्सा तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 का निहित है।

8. यह कि प्रतिवादी श्री केवल चन्द उर्फ केवल कुमार ने पूर्व में भी पूर्वजो से प्राप्त कृषि भूमि में लगभग 17 बीघा कृषि भूमि बिना किसी आवश्यकता के अन्य व्यक्तियो को बैचान कर दी जाती है तथा विक्रय की गयी भूमि पर कब्जा क्रेतागण को सम्भला कर विक्रय पत्र केतागण के पक्ष मे निष्पादित कर दिये है। उक्त विक्रय प्रतिवादी ने बिना आवश्यकता के किया है तथा भूमि की विक्रय राशि भी वादीगण पर खर्च नहीं है। क्र

9. यह कि प्रतिवादी भूमि में वादीगण ने का जन्म से 1/5–1/5 प्रत्येक वादीगण का हिस्सा निहित है वादीगण ने दिनांक 29–7–2019 को उपरोक्तानुसार 1/5–1/5 हिस्सा वादीगण के खाते दर्ज करवाने का प्रतिवादी से आग्रह किया तो प्रतिवादी ने वादीगण के आग्रह को ठुकरा दिया और विवादित भूमि में वादीगण का कोई हक एवं अधिकार होने से इंकार कर दिया तथा उक्त तिथि को ही वादीगण भूमि अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को बेचान भारग्रस्त करने की वादीगण को धमकी दी है। यही वादोत्पत्ति का कारण है।

10. यह वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण विवादित भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/5–1/5 हिस्सा होना घोषित करवाये तथा राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में अपना नाम खातेदार के स्थान पर उक्त हिस्सानुसार दर्ज करवाकर कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर अपने हिस्से मे प्राप्त कृषि भूमि प्रत्येक वादीगण स्वंय के स्वंतत्र खाते दर्ज करवाये

11. यह कि प्रतिवादीगण क्रम 1 ने वादीगण को विवादित भूमि अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को रहन बैचान एवं भारग्रस्त करने की धमकी दी है तथा विवादित भूमि में वादीगण के हको से इंकार कर दिया है यदि प्रतिवादी ने विवादित भूमि को रहन बैचान एवं भारग्रस्त कर दिया तो वादीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगीं। ऐसी स्थिति में वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि प्रतिवादी क्रम 1 विवादित भूमि को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को रहन बैचान एवं भारग्रस्त नहीं करे।

12. यह कि विवादित भूमि का लेण्ड होल्डर राज0 राज्य होने से वाद पूर्व प्रतिवादी राजस्थान राज्य को निधारित अवधि दो माह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने विवादित भूमि पर वादीगण का हक एवं अधिकार मानने से इंकार कर दिया है तथा विवादित भूमि को अन्य व्यक्ति एवं संस्था को रहन बैचान एवं भारग्रस्त करने की वादीगण को धमकी दी है इस कारण वाद अत्यावष्यक प्रकति का हो गया है वाद की अत्यावष्यक के कारण प्रतिवादी राज0 राज्य को वाद पूर्व निर्धारित अवधि का नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं रहा है इस वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राज0 राज्य को नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुति की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की डिकी पारित की जावे–

1. यह कि वाद पत्र चरण संख्या 3 व 4 में अंकित कृषि भूमि खसरा संख्या 962,963,964 कुल रकबा, 38 बीघा ग्राम गामछ तहसील तालेडा जिला बून्दी का प्रत्येक वादीगण को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में उक्त हिस्सा अनुसार अंकित किया जावे।
2. यह की वाद पत्र की चरण क्रम 3 व 4 में अंकित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच विधिवत बंटवारा किया जाकर वादीगण के हिस्से में प्राप्त कृषि भूमि वादीगण के स्वतंत्र खाते दर्ज की जावे एवं हिस्सानुसार भूमि का कब्जा वादीगण को दिलवाये जावे।
3. यह कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वाद पत्र की चरण क्रम 3 व 4 में अंकित विवादित कृषि भूमि को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को रहन, बैचान एवं भाग्रस्त नहीं करे।
4. यह कि वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाये जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 की और से कोई जवाब दावा पेश नही करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी की और से जवाब दावा पेश नही कर सीधे ही पक्षकारान की और राजीनामा पेश किया जो निम्नप्रकार है–

1. यह कि पक्षकारान वादीगण एव प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री औंकारलाल जी थे, विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या–962 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0सं0 963 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, ख0सं0 964 रकबा 19 बिघा 1 बिस्वा ग्राम गामछ जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण क्रम –3 व 4 मे किया गया है, यह कृषि भूमि पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज धन्नालाल आ0 औकारलाल के खातेदारी की थीं, जो विरासत मे प्रतिवादी क्रम–1 को प्राप्त होकर वर्तमान मे प्रतिवादी क्रम–1 के खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण श्रीमती रागीनी प्रतिवादी केवल कुमार उर्फ केवलचंद की पुत्री है तथा वादी संदीप कुमार, अभिषेक, जितेन्द्र प्रतिवाद क्रम–1 केवल कुमार उर्फ केवलचंद के पुत्र है उक्त भूमि पक्षकारान वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पूर्वजो की होने से वादीगण रागीनी , संदीप कुमार, अभिषेक एंव जितेन्द्र का उक्त भूमि मे 1/5 –1/5 हिस्सा जन्म से ही निहित है तथा प्रतिवादी क्रम–1 श्री केवल कुमार का भी उक्त सम्पुर्ण कृषि भूमि मे 1/5 हिस्सा निहित है। उक्त अनुसार सम्पूर्ण कृषि भुमि मे प्रत्येक वादीगण का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित कर दिया जावे तथा प्रतिवादी क्रम –1 का 1/5 हिस्सा घोषित कर दिया जावे, इसमे वादीगण एंव प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।
2. वदीनी श्रीमती रागीनी अपना 1/5 हिस्सा अपने भाई वादीगण 2 लगायत 4 के पक्ष मे परित्याग करती है। वादीनी का हिस्सा वादी संदीप अभिषेक एंव जितेन्द्र के खाते दर्ज कर दिया जावे । वादीगण 2 लगायत 4 के खाते सम्पूर्ण कृषि भुमि मे 4/5 हिस्सा दर्ज कर दिया जावे, उक्त अनुसार वादीगण 2 लगायत 4 के हिस्से मे 4/5 हिस्सा जमाबंदी मे तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी केवल कुमार उर्फ केवलचंद के नाम अंकित कर दिया जावे तथा हिस्सा अनुसार वादीगण 2 लगायत 4 एवं प्रतिवादी के बीच बटवारा किये जाने मे वादीगण एंव प्रतिवादी को आपत्ति नही है।
3. यह कि खर्चा मुकदामा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

अतः प्रार्थना है कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री कर दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 64 ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी खाता सं0 63 ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–2, खसरा गिरिदावरी ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–3, नकल आशिंक नक्शा ट्रेस ग्राम गामछ प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी खाता सं0 50 ग्राम गामछ संवत् 2012–2015 प्रदर्श–5, नामान्तकरण पंजिका पृविष्टी सं0 437 दिनांक

Scanned by CamScanner

27.07.1970, प्रदर्श–6, नकल मिलान क्षेत्रफल सन् 2028–47 ग्राम गामछ प्रदर्श 7–8, नकल जमाबन्दी खाता सं0 18 ग्राम गामछ संवत् 2034–37, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम गामछ ब्लॉक प्रदर्श–10, सहमति पत्र श्रीमति रागीनी जैन पुत्र केवल कुमार उर्फ केवल चन्द प्रदर्श–11 वादी सं0 1 रागीनी का साक्ष्य शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–1 की प्रतियाँ पेश कीं।

बहस बकुलाए सुनी। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 64 ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी खाता सं0 63 ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–2, खसरा गिरिदावरी ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–3, नकल आशिंक नक्शा ट्रेस ग्राम गामछ प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी खाता सं0 50 ग्राम गामछ संवत् 2012–2015 प्रदर्श–5, नामान्तकरण पंजिका पृविष्टी सं0 437 दिनांक 27.07.1970, प्रदर्श–6, नकल मिलान क्षेत्रफल सन् 2028–47 ग्राम गामछ प्रदर्श 7–8, नकल जमाबन्दी खाता सं0 18 ग्राम गामछ संवत् 2034–37, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम गामछ ब्लॉक प्रदर्श–10, सहमति पत्र श्रीमति रागीनी जैन पुत्र केवल कुमार उर्फ केवल चन्द प्रदर्श–11 वादी सं0 1 रागीनी का साक्ष्य शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–1 का अवलोकन किया गया। पक्षकारान उभयपक्ष हाजिर होकर राजीनामा लिखित पेश किया जिसे उनके द्वारा पढ–सुन कर सही होना तस्दीक किया गया है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप –6) विभाग क्रमांकः 5(1) राज–6/97/10 दिनांक 08/09/1997 में उद्धरण किया है कि हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता के नाम की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही इन प्रावधानों के अन्तर्गत बंटवारे द्वारा जोत का विभाजन करवा सकता है। साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 64 ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी खाता सं0 63 ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–2, खसरा गिरिदावरी ग्राम गामछ संवत् 2071–74 प्रदर्श–3, नकल आशिंक नक्शा ट्रेस ग्राम गामछ प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी खाता सं0 50 ग्राम गामछ संवत् 2012–2015 प्रदर्श–5, नामान्तकरण पंजिका पृविष्टी सं0 437 दिनांक 27.07.1970, प्रदर्श–6, नकल मिलान क्षेत्रफल सन् 2028–47 ग्राम गामछ प्रदर्श 7–8, नकल जमाबन्दी खाता सं0 18 ग्राम गामछ संवत् 2034–37, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम गामछ ब्लॉक प्रदर्श–10 से उक्त विवादीत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि होना सिद्ध होती है। कृषि भूमि पैत्रिक होने से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का समान हक व अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 की पुत्री वादी सं0 1 श्रीमति रागीनी द्वारा नोटेरी तस्दीक शुद्धा सहमति पत्र प्रदर्श–11 एवं अपने साक्ष्य शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–1, प्रस्तुत राजीनामा से पैतृक भूमि में निहित हिस्से को अपनी सहमति से वादी सं0 2 लगा0 4 के हक में त्याग करना स्वीकार किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा लिखित में हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा प्रस्तुत करने से सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 23 नियम 3 को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में वादीगण 1 लगा0 4 व प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। वादी सं0 1 रागीनी ने अपनी सहमति व राजीनामा अनुसार अपना 1/5 हिस्सा अपने भाई वादीगण सं0 2 लगा0 4 के पक्ष में परित्याग किया जाना स्वीकार किया है। अतः वाद वादी प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वादीगण सं0 2 लगा0 4 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 3.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला

Scanned by CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मोहम्मद ताहीर , आर0ए0एस0

1. श्रीमती रागीनी पुत्री केवल कुमार पत्नि मंयक कुमार जैन जाति महाजन निवासी के0पाटन हाल निवास वार्ड नं0 13 टोडारायसिंह तहसील जिला टोंक (राज0)
2. संदीप कुमार पुत्र केवल कुमार जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं0 13 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
3. अभिषेक जैन पुत्र केवल कुमार जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं0 13 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
4. जितेन्द्र पुत्र केवल कुमार जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं0 13 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)

......**वादीगण**

बनाम

1. केवल कुमार उर्फ केवल चन्द आ0 स्वं0 रामप्रताप जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं0 13 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...**प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

98/दावा/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री राजकुमार गोत्तम एडवोकेट मिनजानिब मुदई श्री मुकेश शर्मा ऐडवोकेट मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वादीगण सं0 2 लगा0 4 को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

नीज............................ मुबलिक................................ बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह....................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख30 माह 12 वर्ष 2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner